


आ. सं. 21/11/22  
वादी

फलावली पेश हुई। अधि. वादी मय वादी अनुपस्थित  
आवाजे दिलवाई गई। समय खोम 5 PM हो  
चुका है। अतः वादी मय अधिवक्ता द्वारा  
अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम  
हाजरी / अदम पंखी में खारिज किया जाता है।  
फलावली फेरल शुमार होकर नम्बर से कम  
हो।

निर्णय सुगम गया

  
21/11/22

